

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527] नई दिल्ली शनिवार, दिसम्बर 11, 1976/अग्रहायण 20, 1898

No. 527] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1976/AGRAHAYANA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th December 1976

S.O. 782(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Canara Bank, establishes, with effect from the 11th December, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Kerala under the name of South Malabar Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Malappuram and Kozhikode in the state of Kerala.

[No. F. 4-60/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

क्र० प्र० 782(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक के अनुरोध पर 11 दिसम्बर, 1976 से केरल राज्य में 'साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक केरल राज्य के मलप्पुरम और कोषीकोड जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एक० 4-60/76-ए सी (1)]

S.O. 783(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Canara Bank, by which South Malabar Gramin Bank has been sponsored, specifies Malappuram as the place where South Malabar Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4-60/76-AC(II)]

क्र० प्र० 783(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक के प्रायोजक केनरा बैंक के परामर्श से मलप्पुरम को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एक० 4-60/76-ए सी (2)]

New Delhi, the 11th December 1976

S.O. 784(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, South Malabar Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-60/76-AC(III)]

M. NARASIMHAM, Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1976

क्र० प्र० 784(प्र).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एक० 4-60/76-ए सी (3)]

एम० नरसिंहम्, सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 11th December 1976

S.O. 785(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

South Malabar Gramin Bank, Malappuram.

[DBOD. No. 141/INCL./C. 102-76]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 11 दिसम्बर, 1976

क्रा० सा० 785 (ख).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के प्रनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्म्मलखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक मलप्पुरम ।

[डीबीओडी सं० 141/आईएनसीएल/सी 102-76]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

